



67

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क /16/निगरानी

R 4118-8302-16

1 केसर सिंह पुत्र श्री फुम्मन सिंह  
निवासी ग्राम रायरू फार्म परगना व  
जिला ग्वालियर

—प्रार्थी

2 संजय सिंह उर्फ संजू पुत्र श्री  
रामपाल

3 मंजेश सिंह उर्फ लाला पुत्र श्री  
रामपाल निवासीगण ग्राम मिलावली  
परगना व जिला ग्वालियर

—फार्मल पक्षकार

बनाम

सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह  
निवासी रायरू फार्म परगना व जिला  
ग्वालियर

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959  
विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 1/15-16/अ-70 मे पारित आदेश  
दिनांक 16.11.2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब  
तहसीलदार वृत्त रायरू पुरानी छावनी ग्वालियर (म0प्र0)

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

कमश: 02

10.8.2019

आवेदन की ओर ही श्री पी० एच० शर्मा आयोग के अध्यक्ष एवं आवेदन की ओर ही श्री पी० एच० शर्मा आयोग के अध्यक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के आयोग के सहमति से प्रकरण आज विरामित हुआ। तर्क सुने जाये यह निर्णय तहसीलदार के आदेश दिनांक 16-11-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

की गई है, जिससे आवेदन के जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है। बाद में तहसीलदार द्वारा 09.12.2016 को उभय पक्ष की सहमति से आवेदन को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध करा दिया गया है। आज यह निर्णय ~~है~~ समाप्त की जाती है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
अध्यक्ष